



कार्यालय प्राचार्य शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी
जिला-धमतरी(छ.ग.)

Website: www.gcnagri.ac.in

E-mail: gcnagri@gmail.com

Phone: 07700-251218

क्रमांक / / प्रवेश वाणिज्य / 2025

नगरी दिनांक: 09.07.2025

शासकीय सुखराम नागे महाविद्यालय नगरी में शिक्षा सत्र 2025-26 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बी.काम. स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अनुशंसा की जाती है। छात्र/छात्रा समस्त मूल प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ दिनांक 14/07/2025 तक महाविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।

बी.काम. भाग-एक प्रवेश प्रावीण्य सूची (द्वितीय सूची)

क्र.	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	वर्ग	प्रतिशत	रिमार्क
अनारक्षित वर्ग					
1.	KULDEEP SINGH	AMARJEET SINGH	GEN	68.8	
2.	CHHABILAL SAHU	SANTOSH KUMAR SAHU	OBC	66.8	
3.	KULDEEP	RAMLAL	SC	66.6	
4.	JIVANLAL	AANAND RAM	ST	57	
5.	MD AYAN ALI	MD AHMAD ALI	OBC	52.6	
6.	MULCHAND	ATMA RAM	ST	50.2	
7.	SEVIKA KULDEEP	TIRATH RAM	SC	46.8	
8.	JHALENDRA KUMAR	DAULAT RAM	ST	45	
9.	SATYANARAYAN MARKAM	ANAKU RAM MARKAM	ST	44	

टीप-1. उपरोक्त सूची में उल्लेखित प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र/छात्राएँ निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति एवं अपने पालकों/अभिभावक के साथ स्वयं उपस्थित होकर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं:-

1. आनलाईन प्रवेश आवेदन की हार्डकापी
2. ABC id की प्रति
3. महाविद्यालय प्रवेश फार्म
4. दसवीं एवं बारहवीं उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची
5. जाति एवं निवास प्रमाणपत्र
6. स्थानांतरण एवं चरित्र प्रमाणपत्र की मूल प्रति
7. आधार कार्ड एवं बैंक खाता(सीडिंग के साथ)
8. माइग्रेशन प्रमाणपत्र की मूल प्रति
9. गेप प्रमाणपत्र (यदि लागू हो तो)
10. बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो तो)
11. बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति
12. नवीनतम पासपोर्ट साईज कलर फोटोग्राफ 03 प्रति

(उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति-01 सेट)

2.-प्रवेश मार्गदर्शिका कंडिका 06 (विशेष) के अनुरूप जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (प्राइवेट) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो अथवा गेप हुआ हो, उन्हें किन्ही दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा।

3. उपरोक्त प्रावीण्य सूची में छात्र-छात्राओं का नाम आरक्षित संवर्गों में होने की दशा में आरक्षित संवर्ग की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. उपरोक्त प्रवेश सूची प्राविधिक (Provisional) है। दस्तावेजों के अभाव में, त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि अथवा संकाय परिवर्तन आदि कारणों से प्रावीण्यता क्रम में परिवर्तन संभव है तथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।